भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 39

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री की लागत में वृद्धि

39. **डॉ. राजेश मिश्राः**
श्री सुनील कुमारः
श्री लुम्बा रामः
श्री प्रवीण पटेलः
श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः
श्री मनीष जायसवालः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री अनुराग शर्माः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री दिलीप शइकीयाः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्री भर्तृहरि महताबः
श्री नव चरण माझीः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री परषोत्तमभाई रुपालाः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्री बलभद्र माझीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैयाः
श्री अरुण गोविलः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत सामग्री की लागत में वृद्धि के पीछे क्या उद्देश्य है;

(ख) क्या सामग्री की बढ़ी हुई लागत से प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है;

(ग) भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सामग्री की बढ़ी हुई लागत का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(घ) सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान और पीएम पोषण (पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन) योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देशभर में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ.) क्या सरकार का इन योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव है**?**

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि बालवाटिका (पहली कक्षा से ठीक पहले) और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री की लागत में वृद्धि करने के पीछे उद्देश्य दालों, सब्जियों, खाना पकाने के तेल, अन्य मसालों और ईंधन जैसी सामग्री की लागत में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखना है। सामग्री लागत की मौजूदा दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण मजदूर (सीपीआई-आरएल) सूचकांक के आधार पर 13.70% संशोधित कर बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए 6.19 रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 9.29 रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन कर दिया गया है, जो 1 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा। इससे स्कूलों को छात्रों को सभी निर्धारित पोषक तत्व उपलब्ध कराने और भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। ये दिशा-निर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। पीएम पोषण योजना के दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से भोजन की जांच करने की सलाह दी जाती

है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, योजना के कामकाज पर आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, में सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है। सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएम पोषण योजना को क्रियान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नोडल विभाग की है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो किसी भी स्थिति में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। एफसीआई पीएम पोषण योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम एफएक्यू का खाद्यान्न एफसीआई और कलेक्टर और/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के नामित व्यक्ति की एक टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद उठाया जाए, तथा उनके द्वारा पुष्टि की जाए कि अनाज कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से उनके होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, व्यंजनों, परोसने के कौशल आदि पर रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अधिगम परिणाम और छात्रों के बेहतर पोषण के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वित और व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। एनईपी 2020 की प्रमुख पहल और उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- समग्र शिक्षा: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय 2018-19 से पूरे देश में समग्र शिक्षा को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें सतत अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।
- समझ और संख्यात्मकज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) दिनांक 5 जुलाई 2021 को शुरू की गई।

- 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) को एनसीटीई द्वारा दिनांक 22.10.2021 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए, 23 संस्थानों को आईटीईपी के चरण 2 पायलटिंग के लिए एनसीटीई द्वारा मान्यता दी गई है।
- 20 अक्टूबर, 2022 को आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एफएस) का शुभारंभ किया जाएगा।
- एनसीएफ पर आधारित, शिक्षण सामग्री (जादुई पिटारा) और पहली और दूसरी कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें क्रमशः 20 फरवरी, 2023 और 5 जुलाई, 2023 को शुरू की गई। जादूई पिटारा का डिजिटल संस्करण भी 10 फरवरी, 2024 को शुरू किया गया।
- स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) दिनांक 23 अगस्त 2023 को जारी की गई। एनसीएफ-एसई (2023) के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए तीसरी और छठी कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें जारी कर दी गई हैं।
- **परख:** एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण), दिनांक 8 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था ताकि देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों में छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश स्थापित किए जा सकें और सभी स्कूल बोर्डों में शिक्षार्थियों के बीच शैक्षणिक मानकों की समानता सुनिश्चित की जा सके।
- समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन हेतु प्रारंभिक, आधारभूत, मध्य और माध्यमिक स्तर के लिए समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) तैयार किया गया है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।
- **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी)** दस्तावेज़ उन दक्षताओं को रेखांकित करता है जो शिक्षकों के पास अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए होनी चाहिए, जिसे दिनांक 9 मार्च 2024 को जारी किया गया।
- **नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग (एनएमएम) - 'ब्लूबुक ऑन एनएमएम' 9 मार्च 2024** को जारी किया गया, जो स्कूल शिक्षकों को सलाह प्रदान करने के इच्छुक उत्कृष्ट पेशेवरों के एक बड़े समूह के निर्माण के बारे में बात करता है।
- **पीएम ईविद्या के तहत, दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा बुनियादी ढांचा है।** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में शामिल किया गया है। दीक्षा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेड (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोड वाली ऊर्जावान पाठ्यपुस्तकें प्रदान करती है। दीक्षा वर्तमान में क्यूआर कोड के साथ सक्रिय 7,080+ पाठ्यपुस्तकों की मेजबानी करती है, जिसमें 374 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें और ईटीबी शामिल हैं। ई-सामग्री 108 भाषाओं (101 भारतीय भाषाएँ + 7 विदेशी भाषाएँ) में उपलब्ध है।

- **डीआईईटी- उत्कृष्टता केंद्र:** एनईपी 2020 इन संस्थानों की क्षमता और कार्य संस्कृति को बदलने और उन्हें उत्कृष्टता के जीवंत संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए डीआईईटी के पुनर्जीवन को मान्यता देता है। समग्र शिक्षा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से देश के सभी 613 क्रियाशील डीआईईटी के भौतिक उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 125 डीआईईटी को 92,320.18 लाख रुपये के अनुमानित बजट के साथ अनुमोदित किया गया था।
- **प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)** योजना को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों के अलावा बालवाटिका के छात्रों को शामिल करने के लिए नया रूप दिया गया है और विस्तारित किया गया है। यह स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी) की स्थापना और 'तिथि भोजन' के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने को प्रोत्साहित करता है।
- **तिथि भोजन:** तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग नियमित भोजन के अलावा विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं। पूरे देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा सप्ताह आयोजित किया गया, जिसमें 2 लाख से अधिक स्कूलों में 1.6 करोड़ से अधिक छात्रों को तिथि भोजन उपलब्ध कराया गया।
- **स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी)**: इस योजना के तहत स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यानों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि बच्चों को प्रकृति और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। देश भर में 5.16 लाख स्कूलों में एसएनजी स्थापित किए गए हैं।
- **पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया)** योजना 07 सितंबर 2022 को शुरू की गई। पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है, तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से अब तक 12,084 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया जा चुका है।

(ड): कार्यान्वयन के प्रदर्शन और सीमा में सुधार करने के लिए, पीएम पोषण योजना अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत निगरानी तंत्र प्रदान करती है, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, लोकसभा के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति, उप मंडल अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक संचालन-सह-निगरानी समिति

शामिल हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी की गई निधि के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन और खरीद पर मैनुअल में निर्धारित किए गए अनुसार अंतर्निहित जांच, प्रति-जांच और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। इसके अलावा, एक आंतरिक लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा और राज्य महालेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा भी है। प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग) प्रणाली में, समग्र शिक्षा के अंतर उपायों के तहत किए गए व्यय को अद्यतन किया जाता है। समग्र शिक्षा के प्रमुख उपायों के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति की मासिक स्थिति प्रदर्शित करने के लिए प्रबंध प्रणाली में एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड बनाया गया है।

*****